



354/1

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 9036 / 28 / 76 / एक / 2018-19
सेवा में,

दिनांक 04 जनवरी 2019

जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कौशाम्बी।

विषय : मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण
महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या-37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	4869000100033152	IFSC Code PUNB0486900	124.344

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किश्त)
1	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० मंझनपुर	वार्ड नं० 01 में शिव मन्दिर से भेलखा रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.433
2	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०पा०प० भरवारी	ग्राम परसरा के चन्दीपुर में शिवकुमार लोधी के घर से दिनेश पासी के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	14.747
3	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० करारी	वार्ड नं० 01 में नेतानगर टाकीज के सामने से सुग्गा पासी के घर होते हुए अनिल वर्मा के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य व दोनो तरफ नाली निर्माण कार्य।	6.477
4	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० करारी	वार्ड नं० 02 के अंसारगंज में अनीश के घर से शब्बीर के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	4.382
5	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० अझुवा	वार्ड नं० 08 गांधी नगर में अभय प्रताप सिंह डिग्री कालेज के गेट के बगल से प्रदीप सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.229
6	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० अझुवा	वार्ड नं० 03 में काली माता मन्दिर से सकरा बाबा मन्दिर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	32.069
7	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० अझुवा	वार्ड नं० 01 डीहा मलिन बस्ती में पन्ना के घर से सुग्गी के घर होते हुये रामहित के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.786
8	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० अझुवा	वार्ड नं० 08 गांधी नगर में अरशद के घर से सराफत उल्ल के घर होते हुये जी०टी० रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.803
9	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० अझुवा	वार्ड नं० 08 गांधी नगर में बाबूलाल मास्टर के घर से	5.369



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण (प्रथम किस्त)
				राजबहादुर के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	
10	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० अझुवा	वार्ड नं० 08 गांधी नगर में रमादेवी डिग्री कालेज के सामने से रामआसरे के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.227
11	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 01 डीहा मलिन बस्ती में सुदामा के घर से मुन्नी के घर होते हुए पन्ना के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.364
12	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 01 डीहा मलिन बस्ती में अर्जन के घर से तालाब के किनारे से शिव प्रसाद के घर स्केल रासंवारे के तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.137
13	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 06 आजाद नगर में रहमत अली के घर से मलिक के घर होते हुए सिपाही यादव के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.532
14	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 01 डीहा मलिन बस्ती में खिन्नी लाल के घर से रामप्रताप के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1.815
15	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 06 आजाद नगर में जायकेदार साहू के घर से नजीबउल्ला के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.145
16	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 02 नईम का पुरा में गुलाब के घर से दलीप के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.421
17	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 06 आजाद नगर में इरफान बोस के घर से गुलाब चन्द के घर होते हुए मुन्ना के तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.200
18	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 01 डीहा मलिन बस्ती में कमलेश रैदास के घर से खिन्नी लाल के घर होते हुए जवाहर पासी के घर तालाब तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.542
19	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 08 अशोक नगर में सूबेदार मरिजद से कामयाब के घर होते हुए नसीम अहमद के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.850
20	कौशाम्बी	म०ब०-83	न०प० चायल	वार्ड नं० 06 आजाद नगर में नत्थू पासी के घर से मन्नी पासी के घर तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.816
	योग				124.344

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व

W



354/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

✓



254/4

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि० अधि०, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक